भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2583

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **पीएमएफबीवाई के अंतर्गत फसल हानि हेतु क्षतिपूर्ति**

2583. डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत शामिल किए गए जोखिमों और खतरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास देशभर में, विशेषकर बिहार में बाढ़ और नदी के कटाव से हुई फसलों के नुकसान के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो विगत तीन वित्तीय वर्षों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बाढ़ के कारण बिहार में प्राप्त फसल बीमा दावों की संख्या सहित निपटान किए गए दावों की संख्या और संवितरित मुआवजे की कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा प्रदान करेगी; और

(घ) सरकार ने बाढ़ और नदी के कटाव से होने वाली फसल हानि को कम करने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक फसल क्षति के लिए उपज आधारित व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। यह योजना न केवल किसानों की फसलों को बाढ़, जलभराव, भूस्खलन, सूखा, लू, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/रोग, प्राकृतिक आग और बिजली गिरने, आंधी, टाइफून, तूफान, हरिकेन, टारनेडो आदि जैसी अपरिहार्य प्राकृतिक आपदाओं और चरम जलवायु आपदाओं के कारण होने वाली व्यापक उपज नुकसान से बचाती है, बल्कि स्थानीय जोखिमों (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग) के कारण होने वाली खेत स्तर की उपज नुकसान और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलोपरांत होने वाली नुकसान तथा बुआई में रुकावट से होने वाली नुकसान से भी सुरक्षा प्रदान करती है।

जबकि मौसम सूचकांक आधारित बीमा, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए टर्म शीट के माध्यम से प्रदान किया जाता है। RWBCIS सामान्यतः बागवानी फसलों पर कार्यान्वित होती है और किसानों को फसल उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली प्रतिकूल मौसम की घटनाओं, जैसे कि कम या अधिक वर्षा, उच्च या निम्न तापमान, आर्द्रता आदि से बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसका लाभ यह है कि दावों का निपटान कम से कम समय में हो जाता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को RWBCIS के अंतर्गत फसलों को अधिसूचित करना अपेक्षित है।

(ख): इस प्रकार का डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): बिहार राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) का कार्यान्वयन नहीं करता है।

हालांकि, बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बाढ़ से फसलों को हुई क्षति के संबंध में सर्वेक्षण किए जाते हैं। इसी के आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाता है। विगत दो वर्षों में बिहार में बाढ़ से फसलों को हुई क्षति का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**प्रभावित जिले**	**33% से अधिक फसल क्षति (हेक्टेयर) वाले प्रभावित क्षेत्र**	**मुआवज़े की राशि (रुपये करोड़ में)**	**लाभान्वित किसान (संख्या में)**
2024-25	28	2,93,263.32	158.90	2,49,336
2025-26	24	2,55,199.11	247.33	4,90,546

(घ): भारत सरकार ने PMFBY/RWBCIS के तहत दावों के समय पर निपटान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, सूचना प्रसार, किसानों के ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं के वितरण, निजी बीमित किसान के विवरण को अपलोड करने/प्राप्त करने और दावे की राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निजी किसान के बैंक खाते में अंतरित करने के लिए एक एकल डेटा स्रोत के रूप में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को विकसित करने का कार्य किया है।

- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु 'डिजीक्लेम मॉड्यूल' नामक एक विशेष मॉड्यूल को क्रियान्वित किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान हो सके।

- खरीफ 2024 से, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो 12% का जुर्माना स्वतः ही गणना करके NCIP के माध्यम से लगाया जाता है।

- केंद्र सरकार द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में दिए जाने वाले हिस्से को राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले हिस्से से अलग कर दिया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।

- राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी में राज्य के हिस्से को जारी करने में विलंब होने पर खरीफ 2025 से 12% का जुर्माना भी लगाया जाता है।

- वित्तीय अनुशासन लाने के लिए, खरीफ 2025 सीजन से योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से अपने प्रीमियम हिस्से को जमा करने के लिए एस्क्रो (ESCROW) खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है।

- इसके अतिरिक्त, इस योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोगों (CCE) संबंधी डेटा को CCE-Agri App के माध्यम से एकत्र करने और इसे NCIP पर अपलोड करने, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देने, राज्य भू-अभिलेखों को NCIP के साथ एकीकृत करने और यस-टेक के माध्यम से रिमोट सेंसिंग आधारित उपज अनुमान का उपयोग करने जैसे विभिन्न कदम किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार के लिए पहले ही उठाए जा चुके हैं।

- फसल नुकसान आकलन ऐप (CLAP) को एक डिजिटल मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य PMFBY के अंतर्गत निजी खेतों और भूखंडों के लिए स्थानीय आपदाओं से/फसलोपरांत होने वाले नुकसान के आकलन को सुव्यवस्थित करना और इसकी दक्षता में सुधार करना है। इस योजना के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए CLAP का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
